

7

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

सं० सं०-2/आर-266/2025-

/स्वा०, पटना, दिनांक / / 2026

डा० निशांत कुमार, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी(शिशु रोग), राजकीय दंत महाविद्यालय अस्पताल, पैठना, रहुई, नालंदा के दिनांक 01.08.2020 से 30.12.2022 तक की अवधि को निम्नरूप में विनियमित किया जाता है:-

1	दिनांक 01.08.2020 से 28.06.2022 तक	- अध्ययन अवकाश अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में। (विभागीय अधिसूचना संख्या-2045(2), दिनांक 30.11.2011 के आलोक में)।
2	दिनांक 29.06.2022 से 17.07.2022 तक	- असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-236)
3	दिनांक 18.07.2022 से 11.09.2022 तक	- पदस्थापन की प्रतीक्षा के रूप में। (स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय में)
4	दिनांक 12.09.2022 से 20.09.2022 तक	- असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-236)
5	दिनांक 21.09.2022 से 30.12.2022 तक	- पदस्थापन की प्रतीक्षा के रूप में। (स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय में)

2. इसमें आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(राजीव रंजन)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/आर-266/2025- 1858(2) पटना, दिनांक 3/8/2026

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/प्राचार्य/अधीक्षक, राजकीय दंत महाविद्यालय अस्पताल, पैठना, रहुई, नालंदा/कोषागार पदाधिकारी, बिहारशरीफ, नालंदा/डा० निशांत कुमार, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी(शिशु रोग), राजकीय दंत महाविद्यालय अस्पताल, पैठना, रहुई, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3, 9ए, 9बी, 17 एवं 18ए, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25.
30/8/2026
सरकार के अवर सचिव